:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :— श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बर:— 35/19

दायर दिनांक:—03.06.2019
निर्णय दिनांक:—25.03.2022

1. श्री कावा पिता गला बुझ जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी नई बस्ती बांदेला तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

बनाम

1. श्री धुला पिता गला बुझ जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी नई बस्ती बांदेला तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्रीमान लैण्ड होल्डर जरीये तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92क, 209 राज. काश्त. अधिनियम

::अन्तिम निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य होकर नई बस्ती बांदला के स्थायी निवासी है। खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन भरण पोषण कर रहे है वादी व प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा बांदेला में स्थित होकर हाल जमाबंदी खाता संख्या 20, खसरा नम्बर 9, खेत किता 1 कुल रकबा 24.17 बीघा होकर स्थित है जिसमें पारिवारिक बंटवारे के बाद से ही वादी व प्रतिवादी कब्जे अनुसार काश्त करते आ रहे है उक्त आराजीयों में वादी व प्रतिवादी के पिता गला की मृत्यु के पश्यात से ही दोनों सगे भाई होने से वर्तमान रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी का नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर खातेदार काश्तकार है। वादी पारिवारिक बंटवारे में आयी हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी अपने हिस्से में आयी आराजीयों में मकान निर्माण करने निर्माण सामग्री डालकर कार्य करवा रहा उसी समय प्रतिवादी, वादी के पारिवारिक बंटवारे में आयी कब्जे काश्त की आराजी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन मकान निर्माण कार्य व काश्त कें रूकावट उत्पन्न कर प्रतिवादी, वादी की आराजी में घुसकर जबरन विवाद कर झंगडा फसाद करने लगा। जिस पर वादी ने पारिवारिक बंटवारे में आयी हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य करने की बात करने पर भी प्रतिवादी निर्माण कार्य में रूकावट पैदार कर निर्माण नहीं करने की धमकी देकर जबरन अतिक्रमण कर हडपने व झगडा फसाद को उतारू होने लगा। तो वादी ने वादग्रस्त आराजी लम्बे अर्से से पारिवारिक बंटवारे अनुसार कब्जा होकर खेतीबाडी करके भरण पोषण करने व वर्तमान में अपनी वादग्रस्त आराजी में मकान निर्माण कर परिवार के साथ जीवन यापन करने की बात कही। लेकिन प्रतिवादी निर्माण कार्य में आपत्ति करने लगा। वादी ने पंचों इकठठा कर वादी व प्रतिवादी की वादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बंटवारा कर 1/2, 1/2 हिस्सों में अलग अलग खातों में कायम करने की बात कहने पर प्रतिवादी बंटवारे नहीं करना कहकर झगडा फसाद करने लगा जिससे वादी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी जरिये वकील उपस्थित हुए। प्रतिवादी की और से दिनांक 25.09.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत व राजीनामा कर वादी का वाद स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया गया।

तहसीलदार चिखली से ग्राम बांदेला के जमाबन्दी के खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 9 किता 1 कुल रकबा 24.17 बीघा लगान 8.93 की बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	कावा पुत्र गला भील सा0 देह खातेदार				धुला पुत्र गला भील सा0 देह खातेदार			
9	4.0207	सुखी तृ0	8.93	खसरा न	रकबा (है0)	किस्म	लगान	खसरा न	रकबा (है0)	किस्म	लगान
				9/1	1.3025	सुखी तृ0	2.49	9/2	2. 0063	सुखी तृ0	4.46
				9/3	0.7119	सुखी तृ0	1.98				
01	4.0207		8.93	02	2.0144		4.47		2. 0063		4.46

उपरोक्त बंटवारा अनुसार ग्राम बांदेला के जमाबन्दी के खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 9 किता 1 कुल रकबा 24.17 बीघा को खातेदारो के मध्य अन्तिम निर्णय पारित कर वाद डिकी किया जाता है। बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस इस आदेश/निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरेईजलास सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी,
चिखली डूंगरपुर